

### सीएजी की निरीक्षण भूमिका

#### 2.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अन्तर्गत सरकारी कम्पनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। सीएजी के पास अनुपूरक लेखापरीक्षा करने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणी जारी करने या उस पर अनुपूरक रिपोर्ट जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों में अपेक्षित है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाए तथा संसद को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

#### 2.2 सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षक वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से 180 दिनों की अवधि के अन्दर सीएजी द्वारा नियुक्त किये जाने हैं।

वर्ष 2019-20 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति जुलाई तथा अगस्त 2019 के दौरान की गई थी।

वर्ष 2019-20 के लिए इन कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा जुलाई तथा अगस्त 2019 के दौरान की गई थी।

#### 2.3 सीपीएसई द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

##### 2.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कम्पनी के कार्यचालन और कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट इसकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के तीन महीने के अन्दर तैयार की जानी है। ऐसी तैयारी के बाद यथा शीघ्र वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति और सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक रिपोर्ट के साथ वार्षिक प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र भारत की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक संसदीय नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 प्रत्येक कम्पनी से प्रत्येक कलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की एजीएम आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कहा गया है कि एक एजीएम और अगले एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। इस धारा में आगे प्रावधान है कि पहली वार्षिक सामान्य बैठक के मामले में यह कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर और किसी अन्य मामले में, वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी। इस धारा में यह भी अनुबद्ध है कि रजिस्ट्रार किसी विशेष कारण से उस समय का विस्तार कर सकता है जिसके भीतर पहली वार्षिक सामान्य बैठक के अलावा कोई भी वार्षिक सामान्य बैठक तीन महीने से अनधिक की अवधि तक आयोजित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में अनुबद्ध है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त एजीएम में उनके विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जाना है। धारा में, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारागार जैसी शास्ति लगाने का भी प्रावधान है।

कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कई कंपनियों के सामने आने वाली कठिनाइयों के कारण, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने मई 2020 और अगस्त 2020 में जारी परिपत्रों द्वारा एक तरफ कंपनियों को सलाह दी कि वे कंपनियों के संबंधित रजिस्ट्रार से एजीएम आयोजित करने की तारीख के विस्तार की मांग करें और दूसरी ओर कंपनियों के रजिस्ट्रार को सलाह दी कि वे आवेदन की गयी अवधि के लिए (तीन महीने तक) ऐसे आवेदनों पर उदार रूप से विचार करें। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए, कंपनियों के पास आरओसी से अनुमोदन लेने के बाद 31 दिसंबर 2020 तक अपने एजीएम करने का विकल्प था।

उपरोक्त के बावजूद, विभिन्न सीपीएसई के वार्षिक लेखे 31 दिसम्बर 2020 तक लम्बित थे जिसके ब्यौरे आगामी पैराग्राफ में दिये गये हैं।

### 2.3.2 सरकारी कम्पनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

31 मार्च 2020 को सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में 488 सरकारी कम्पनियां तथा 203 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां थी। इनमें से वर्ष 2019-20 के लिए 459 सरकारी कंपनियों और 197 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखे देय थे। 29 सरकारी कंपनियों और 06 सरकारी नियंत्रित अन्य कम्पनियों, जो कि नई थी, के लेखे देय नहीं थे। कुल 399 सरकारी कम्पनियों तथा 174 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों ने 31 दिसम्बर 2020 को या इससे पहले सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। 60 सरकारी कम्पनियों तथा 23 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। सरकारी कम्पनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित के लेखाओं को प्रस्तुत करने में बकाया के ब्यौरे नीचे तालिका 2.1 में दिये गये हैं:

691 कम्पनियों में से 83 कम्पनियों के लेखे बकाया थे।

तालिका 2.1: बकाया लेखाओं का विवरण

| विवरण   | सरकारी कंपनियाँ/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ |           |                                      |           |          |           |
|---|--|-----------|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|   | सरकारी कम्पनियाँ                                     |           | सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ |           | कुल      |           |
|   | सूचीबद्ध   | असूचीबद्ध | सूचीबद्ध                             | असूचीबद्ध | सूचीबद्ध | असूचीबद्ध |
| 31.03.2020 तक सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के तहत कंपनियों की कुल संख्या | 488  |           | 203                                  |           | 691      |           |
| सूचीबद्ध/असूचीबद्ध  | 63   | 425       | 7                                    | 196       | 70       | 621       |
| घटाएँ: नई कंपनियाँ जिनके लेखे 2019-20 के लिए देय नहीं थे                      | 0  | 29        | 0                                    | 6         | 0        | 35        |

|  |                               |    |     |   |     |    |     |
|--|-------------------------------|----|-----|---|-----|----|-----|
| कंपनियों की संख्या जिनके लेखे 2019-20 के लिए देय थे  |                               | 63 | 396 | 7 | 190 | 70 | 586 |
| उन कंपनियों की संख्या जिन्होंने 31 दिसम्बर 2020 तक सीएजी की लेखापरीक्षा हेतु लेखा प्रस्तुत किए |                               | 63 | 336 | 7 | 167 | 70 | 503 |
| बकाया लेखाओं की संख्या   |                               | 0  | 60  | 0 | 23  | 0  | 83  |
| बकाया का विवरण   | (i) परिसमापनाधीन              | 0  | 20  | 0 | 8   | 0  | 28  |
|  | (ii) समाप्त                   | 0  | 2   | 0 | 5   | 0  | 7   |
|  | (iii) अन्य                    | 0  | 38  | 0 | 10  | 0  | 48  |
| 'अन्य' श्रेणी के प्रति बकाया का अवधि वार विश्लेषण  | एक वर्ष (2019-20)             | 0  | 18  | 0 | 5   | 0  | 23  |
|  | दो वर्ष (2018-19 तथा 2019-20) | 0  | 5   | 0 | 1   | 0  | 6   |
|  | तीन वर्ष और अधिक              | 0  | 15  | 0 | 4   | 0  | 19  |

परिशिष्ट II क और परिशिष्ट II ख में इन कम्पनियों के नाम दर्शाए गए हैं।

### 2.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

छ: सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। पाँच सांविधिक निगमों, जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, में से वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और दामोदर घाटी निगम के लेखे 31 दिसम्बर 2020 से पहले लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए थे। वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय खाद्य निगम लेखे 31 दिसम्बर 2020 को

प्रतीक्षित थे। सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के मामले में, अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है तथा लेखे 31 दिसम्बर 2020 से पहले प्राप्त हुए थे।

## 2.4 सीएजी का निरीक्षण - लेखाओं की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

### 2.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रपत्र में और लेखाकरण मानकों की राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखाकरण मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। सांविधिक निगमों से सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपने लेखे तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।

### 2.4.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी इस, समग्र उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आबंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी द्वारा निरीक्षण भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्तियों का उपयोग करते हुए किया जाता है:

- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना और
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को अनुपूरक करना या टिप्पणी करना।

### 2.4.3 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी एक एंटीटी के प्रबंधन की है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ चुनी गई सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखाओं की समीक्षा अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से सीएजी द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियाँ, यदि कोई है, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत एजीएम से पहले प्रस्तुत की जानी है।

## 2.5 सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

### 2.5.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरण 399 सरकारी कम्पनियों (63 सूचीबद्ध कम्पनियों सहित), 174 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों (सात सूचीबद्ध कम्पनियों सहित) तथा पांच सांविधिक निगमों से 31 दिसम्बर 2020 तक प्राप्त हुए थे। इनमें से 255 सरकारी कम्पनियों और 79 सरकार द्वारा नियंत्रित कम्पनियों तथा पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

सीएजी ने वर्ष 2019-2020 के लिए 334 कम्पनियों और पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की समीक्षा की।

कुछ मिलाकर सीएजी ने 31 दिसम्बर 2020 तक प्राप्त लेखाओं में से 64 प्रतिशत सरकारी कम्पनियों और 45 प्रतिशत सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं की समीक्षा की। समीक्षा के परिणाम के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

#### 2.5.1.1 वित्तीय विवरणों का संशोधन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की सीएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, तीन सरकारी कंपनियों और दो सरकारी नियंत्रित

कंपनियों जैसा कि *परिशिष्ट XVIII* में वर्णित है, ने एजीएम में इसे प्रस्तुत करने से पहले अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन किया था।

#### 2.5.1.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का परिशोधन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की सीएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, 41 सरकारी कंपनियों और 11 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों, जैसा कि *परिशिष्ट XIX* में वर्णित है, के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वार्षिक सामान्य बैठक में इन कंपनियों के वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करने से पहले अपनी रिपोर्ट संशोधित की थी।

#### 2.5.1.3 सरकारी कंपनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुपूरक के रूप में जारी की गयी सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात, सीएजी ने चयनित सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। सीपीएसई, जिनके संबंध में टिप्पणियाँ जारी की गईं, की सूची *परिशिष्ट XX* में दी गई है। सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी की गयी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों, जिनका लाभप्रदत्ता पर वित्तीय प्रभाव ₹4,185.75 करोड़ था और परिसम्पत्तियों/देयताओं पर ₹15,376.62 करोड़ था, को नीचे तालिका बद्ध किया गया है। पूर्व में इंगित किए जाने के बावजूद, कुछ कंपनियों जैसे आईएफसीआई लिमिटेड (पैरा क.i.2), आईटीआई लिमिटेड (पैरा क.ii.3), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (पैरा क.iii.5), तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (पैरा ख.ii.11), इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड (पैरा ख.iii.11) और स्टार यूनियन दाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पैरा घ.i.2) ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की, जिसे नीचे दी गई तालिका में भी दर्शाया गया है:

## क. सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ

## क.ि. लाभ प्रदत्ता पर टिप्पणी

| क्र. सं. | कंपनी का नाम   | टिप्पणी  |
|----------|--|--|
| 1.       | भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण) | <p>कोविड 19 लॉजिस्टिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों के पत्रों के आधार पर डिलीवरी स्थगित करने के लिए तीन विदेशी डिलीवरी के संबंध में 'बिल एंड होल्ड' बिक्री को शामिल करने के कारण परिचालन से राजस्व को ₹225.12 करोड़ तक अधिक बताया गया था। यह इंड एस 115 के प्रावधानों के अनुसार नहीं था और इसके परिणामस्वरूप ₹135.06 करोड़ की सीमा तक तैयार माल को गया। परिणामस्वरूप, ₹90.06 करोड़ तक का लाभ अधिक बताया गया था।</p> <p>तीन संविदाओं के संबंध में राजस्व को स्वीकार करने के कारण परिचालन से राजस्व को ₹140.36 करोड़ तक अधिक बताया गया था जो 'गंतव्य-एमडीएल, मुंबई के लिए थे' और जिसके संबंध में सामग्री नहीं भेजी गई थी। यह इंड एस 115 के प्रावधानों के अनुसार नहीं था और इसके परिणामस्वरूप ₹47.72 करोड़ की सीमा तक तैयार माल को कम बताया गया। परिणामस्वरूप, ₹92.64 करोड़ का लाभ अधिक बताया गया।</p> <p>रक्षा मंत्रालय के साथ दो संविदाओं के संबंध में राजस्व की स्वीकृति मान्यता के कारण परिचालन से राजस्व को ₹68.66 करोड़ तक अधिक बताया गया था जिसमें सुपर्दगी 'बेंगलुरु के लिए' थी और इसकी कीमत में स्थापना, बंदरगाह स्वीकृति परीक्षण और समुद्री स्वीकृति परीक्षण, निरीक्षण, परेक्षिती के स्थल तक पैकिंग और बीमा शामिल था और जिसके सम्बन्ध में निरीक्षण और स्वीकृति को 31.03.2020 तक पूरा नहीं किया गया था। यह इंड एस 115 के प्रावधानों के अनुसार नहीं था और इसके परिणामस्वरूप ₹32.15 करोड़ की सीमा तक के तैयार माल को कम बताया गया। परिणामस्वरूप, ₹36.51 करोड़ तक लाभ अधिक बताया गया।</p> |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| <p>2.</p> | <p>आईएफसीआई लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)</p> | <p>राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण, जिसके साथ कंपनी द्वारा पांच कंपनियों के प्रति बकाया देयों की वसूली के लिए संपर्क किया गया था, ने दावे को ₹393.67 करोड़ तक सीमित कर दिया। कंपनी को वर्ष के दौरान इसमें से ₹19.34 करोड़ प्राप्त हुए थे और इसलिए निवल प्राप्य ₹374.33 करोड़ था। इसके प्रति कंपनी ने ₹687.07 करोड़ को बकाया देयों के रूप में स्वीकार किया। हानि की क्षति के लिए समायोजन के प्रति ₹153.40 करोड़ को मानते हुए, ₹159.34 करोड़ तक ऋण (ब्याज सहित) को अधिक बताया गया और हानि को कम बताया गया।</p> <p>मधुकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिए गए सावधि ऋण के संबंध में एकमुश्त निपटान के अनुसार देयों का समायोजन न करने के परिणामस्वरूप ₹104.38 करोड़ तक ऋणों को अधिक बताया गया और हानि की क्षति की अनुमति को ₹100.49 करोड़ तक अधिक बताया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए हानि को ₹104.38 करोड़ तक कम बताया गया था।</p> <p>जिंदल इंडिया पावरटेक के 'वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर्स' के लिए अभिदान के संबंध में एकमुश्त निपटान के अनुसार देयों का समायोजन न करने के परिणामस्वरूप ₹139.57 करोड़ तक ऋण को अधिक बताया गया और ₹134.37 करोड़ की हानि की क्षति की अनुमति को अधिक बताया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए हानि को ₹139.57 करोड़ तक कम बताया गया था।</p> <p>सुराना इंडस्ट्रीज को दिए गए ऋण के औसत परिसमापन मूल्य के अनुसार देयों का समायोजन न करने के परिणामस्वरूप ₹70.76 करोड़ तक ऋण अधिक बताया गया और उसी राशि तक वर्ष के लिए हानि को कम बताया गया। परिणामस्वरूप, भी ₹68.12 करोड़ तक क्षति की अनुमति को अधिक बताया गया था।</p> <p>पिछले वर्ष अर्थात् 2018-19 के दौरान इंगित किए जाने के बावजूद, कंपनी ने निम्नलिखित के संबंध में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की:</p> <p>(i) मेसर्स रेनबो पेपर्स लिमिटेड से देयों के संबंध में ₹20.19</p> |
|-----------|--|--|

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | <p>करोड़ तक की ब्याज राशि का अधिक बताया जाना जिसके कारण हानि को उसी सीमा तक कम बताया गया था।</p> <p>(ii) मेसर्स एसईडब्ल्यू ग्रीन एनर्जी और मेसर्स एसईडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एकमुश्त निपटान के बावजूद ₹35.95 करोड़ तक ऋण, ₹34.60 करोड़ तक हानि की क्षति की अनुमति का अधिक बताया और ₹35.95 करोड़ की हानि को कम बताना।</p> <p>(iii) आईसीआरए और केयर द्वारा आईएलएंडएफएस समूह की रेटिंग को पदावनत करने और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण द्वारा कंपनी को लाल श्रेणी में रखने के बावजूद आईएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड को ऋण के संबंध में ₹12.81 करोड़ तक ऋण को अधिक बताना और हानि को कम बताना।</p>   |
| 3. | आईटीआई लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)                  | लाभ और हानि लेखा के विवरण के बजाय सुरक्षा प्रीमियम लेखा में वापस लिए गए 'आगामी सार्वजनिक प्रस्ताव' के लिए व्यय को प्रभारित करने के परिणामस्वरूप ₹13.63 करोड़ तक व्यय को कम बताया गया और लाभ को अधिक बताया गया।  |
| 4. | स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण) | <p>भिलाई, बोकारो, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांटों में स्लैग में धंसे हुए लौहे और स्टील स्क्रेप जिसे न तो बेचा जा सकता था और न ही बैलेंस शीट की तारीख को उत्पादन में खपत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, को इन्वेंट्री माना गया। इसके परिणामस्वरूप इन्वेंटरी को ₹683.33 करोड़ तक अधिक बताया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए लाभ उतनी ही राशि तक अधिक बताया गया था।</p> <p>दल्ली माइंस, भिलाई स्टील प्लांट में कीचड़ में धंसे हुए लौह अयस्क के फाइनस को न तो बेचा जा सकता था और न ही उत्पादन में खपत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, जिसे इन्वेंट्री माना गया था। इसके परिणामस्वरूप इन्वेंटरी ₹234.92 करोड़ तक अधिक बतायी गयी। परिणामस्वरूप, उतनी ही राशि तक वर्ष के लिए लाभ अधिक बताया गया था।</p> |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 5. | न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और समेकित वित्तीय विवरण) | मेसर्स एलएंडटी हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग लिमिटेड से संबंधित समुद्री पतवार के दावे के लिए प्रावधान किए गए, जिसे 10 मार्च 2020 को सूचित किया गया था और जिसके लिए पहली अंतरिम रिपोर्ट 26.04.2020 को प्राप्त हुई थी, जिसे अद्यतन नहीं किया गया था, भले ही सह-बीमाकर्ता से प्रावधानों के अपने हिस्से को अद्यतन करने का अनुरोध किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹88.01 करोड़ तक व्ययित दावों को कम बताया गया और उतनी ही राशि का लाभ अधिक बताया गया। |
|----|--|---|

क.ii. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

| क्र. सं. | कंपनी का नाम  | टिप्पणी   |
|----------|---|---|
| 1.       | जनरल इश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (समेकित वित्तीय विवरण और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण) | <p>रेटिंग में गिरावट, 2019-2020 में भारी नुकसान, सांविधिक लेखा परीक्षक के अनुसार वर्तमान चिंताओं के संबंध में अनिश्चितता, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरकैप) के संबंध में मुंबई में ऋण वसूली अधिकरण में कार्यवाही की शुरुआत के बावजूद, कंपनी ने 100 प्रतिशत तक के प्रावधान बनाने के बजाय आरकैप के गैर-परिवर्तनीय डिबेन्चर्स में ₹365.26 करोड़ के निवेश के संबंध में ₹135.29 करोड़ का प्रावधान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹229.97 करोड़ तक प्रावधानों को कम बताया गया और लाभ अधिक बताया गया।</p> <p>फरवरी 2020 में देय ब्याज के भुगतान में चूक, रेटिंग में गिरावट, भारी नुकसान, सुरक्षा कवर में गिरावट और मेसर्स रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के संबंध में उधारकर्ताओं से अतिदेय के संबंध में लेखापरीक्षकों की टिप्पणी के बावजूद, कंपनी ने 100 प्रतिशत तक के प्रावधान बनाने के बजाय आरएचएफएल के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में ₹94.95 करोड़ के निवेश के संबंध में ₹73.70 करोड़ तक का प्रावधान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹21.25 करोड़ तक प्रावधानों को कम बताया गया और उतनी ही राशि का लाभ अधिक बताया गया।</p> |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 2. | आईएफसीआई लिमिटेड<br>(स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण) | पूँजी मोचन रिजर्व को भुनाए गए शेयरों की नाममात्र राशि के बराबर राशि स्थानांतरित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹225 करोड़ तक पूँजी मोचन रिजर्व को कम बताया गया और प्रतिधारित आय/सामान्य रिजर्व को अधिक बताया गया। इस तथ्य का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों तक में भी नहीं किया गया था।  |
| 3. | आईटीआई लिमिटेड<br>(स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)   | फरवरी 2014 से अप्रैल 2014 तक की अवधि के लिए वेतन भुगतान के उद्देश्य से प्राप्त ऋण पर भारत सरकार को 17.04.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए देय ऋण पर ब्याज को शामिल न करने के कारण गैर-चालू देयताओं को ₹13.56 करोड़ कम बताया गया था। परिणामस्वरूप, उतनी ही राशि तक लाभ भी अधिक बताया गया था। यह मुद्दा 2018-19 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के दौरान भी उठाया गया था। हालांकि, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।   |
| 4. | मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड                              | <p>जून 2020 में जारी अधिसूचना के तहत बाद की तारीख में वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के बावजूद 2019-20 के लिए गैर-वृद्धि की गणना के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित यूरिया की इनपुट कीमतों में वृद्धि/ गैर-वृद्धि की संशोधित दरों पर विचार न करने के कारण इंड एस-10 और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखा नीति के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया और इसके परिणामस्वरूप वसूली योग्य दावों वसूली को कम बताया गया {भारत सरकार (भारत सरकार) सब्सिडी} और ₹15.14 करोड़ तक कर के बाद हानि को अधिक बताया गया।</p> <p>अन्य चालू देयताओं में तैनाती की लागत के विलंबित भुगतान पर मार्च 2020 तक शास्तिक ब्याज के कारण केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को देय ₹4.40 करोड़ की राशि शामिल नहीं थी। उतनी ही राशि आकस्मिक देयताओं के रूप में परिलक्षित हुई। इसके परिणामस्वरूप ₹4.40 करोड़ तक कर के बाद अन्य वर्तमान देनदारियों के बाद हानि को कम बताया गया।</p> |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 5. | महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)                         | वार्षिक सामान्य बैठक में लिए गए निर्णय के विपरीत जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि यदि सरकार ने 4जी स्पेक्ट्रम और कैपेक्स आदि के आवंटन के लिए अग्रिम सहायता के रूप में इक्विटी के आधान के प्रस्ताव को मंजूरी दी तो कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि होगी, सरकार के अनुमोदन अथवा आशय को दर्शाने वाले किसी संस्वीकृति/ आदेश के बिना कम्पनी द्वारा अधिकृत शेयर पूंजी को ₹800 करोड़ से बढ़ाकर ₹10,000 करोड़ कर दिया गया। 2018-2019 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के दौरान उजागर होने के बावजूद, कंपनी द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। |
| 6. | ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण) | ₹482.13 करोड़ तक गैर-चालू परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया था और चालू परिसंपत्तियों को कम बताया गया था, जो उपरोक्त राशि का समायोजन न करने के कारण था, जो मेसर्स गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से अधिग्रहीत तेल क्षेत्र के एक ब्लॉक में भागीदार के रूप में नकद कॉल के प्रति मेसर्स जुबिलेंट ऑफशोर ड्रिलिंग प्राइवेट लिमिटेड से वसूली योग्य था।  |
| 7. | स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)                     | कंपनी (शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर) नियम, 2014 (2019 में संशोधित, 16 अगस्त, 2019 से प्रभावी) के विपरीत, जिसमें यह प्रावधान है कि सूचीबद्ध कंपनियों को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की आवश्यकता नहीं है, कंपनी ने ₹276.63 करोड़ का बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व बनाया। इसके परिणामस्वरूप ₹276.63 करोड़ बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व को अधिक बताया गया और उतनी ही प्रतिधारित आय को कम बताया गया है।  |
| 8. | न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण)   | रेटिंग में गिरावट, ब्याज के भुगतान में चूक और 2019-20 के दौरान राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण द्वारा मेसर्स दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के प्रति कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन को स्वीकार करने के बावजूद, कंपनी ने डीएचएफएल के गैर-   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>परिवर्तनीय सुरक्षित डिबेंचर में ₹74.84 करोड़ के निवेश के संबंध में ही 50 प्रतिशत का प्रावधान किया। इसके कारण ₹37.42 करोड़ तक प्रावधानों को कम बताया गया और लाभ को अधिक बताया गया।</p> <p>रेटिंग में गिरावट 19.10.2019 को देय ब्याज के भुगतान में चूक, 2019-2020 में भारी नुकसान, सांविधिक लेखा परीक्षक के अनुसार वर्तमान चिंताओं के संबंध में अनिश्चितता, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरकैप) के संबंध में मुंबई में ऋण वसूली अधिकरण में कार्रवाई प्रारम्भ करने के बावजूद, कंपनी ने 100 प्रतिशत तक प्रावधान करने के बजाय आरकैप के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में ₹290.31 करोड़ के निवेश के संबंध में 30 प्रतिशत का प्रावधान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹203.22 करोड़ प्रावधानों को कम बताया गया और लाभ को अधिक बताया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>रेटिंग में गिरावट, भारी नुकसान, सुरक्षा कवर में गिरावट और मेसर्स रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के संबंध में उधारकर्ताओं से अतिदेय के संबंध में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के बावजूद, कंपनी ने 100 प्रतिशत की सीमा तक प्रावधान का सृजन करने की बजाय आरएचएफएल के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में ₹114.97 करोड़ के निवेश के संबंध में 30 प्रतिशत का प्रावधान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹80.48 करोड़ प्रावधानों को कम बताया गया और तक लाभ को अधिक बताया गया।</li> </ul> |
|--|--|--|

### क.iii. प्रकटीकरण पर टिप्पणियां

| क्र. सं. | कंपनी का नाम                        | टिप्पणी   |
|----------|-------------------------------------|---|
| 1.       | कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | <p>यह तथ्य कि कंपनी के पास विशाखापट्टनम में ₹94.81 करोड़ (समग्र ब्लॉक) की लीजहोल्ड भूमि थी, जिसका स्वत्व विलेख 31.03.2020 तक निष्पादित नहीं किया गया था, को प्रकट नहीं किया गया था।</p> <p>हालांकि कंपनी ने फ्रेश एंड हेल्थ एंटरप्राइज लिमिटेड में निवेश की</p> |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | हानि को प्रकट किया, लेकिन उसने उन घटनाओं और परिस्थितियों का प्रकट नहीं किया, जिनके कारण हानि की पहचान हुई।   |
| 2. | मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड  | हालांकि उर्वरक विभाग के दिनांक 17.03.2017 के पत्र के अनुसार, उर्वरक पर आर्थिक सहायता देय हो गई और लाभार्थी को वास्तविक बिक्री के बाद यह तय हो गई, यह तथ्य कि डीलरों के साथ बेचें न गए स्टॉक के लिए ₹107.86 करोड़ की राशि आर्थिक सहायता से राजस्व में शामिल थी, वित्तीय विवरणों की टिप्पणी में प्रकट नहीं किया गया था।  |
| 3. | महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)                     | आकस्मिक देयताओं को 'शुद्ध इंटरनेट सेवाओं' के मामले के संबंध में देय लाइसेंस फीस के रूप में ₹29.81 करोड़ तक कम बताया गया था, जिसके संबंध में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण ने कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सशर्त स्थगन प्रदान किया था, लेकिन यह मामला अभी तक न्यायालय में अंतिम रूप से नहीं पहुंच पाया था।  |
| 4. | तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण) | गेल इंडिया लिमिटेड (गेल) द्वारा बेची गई गैस के लिए नवंबर 2008 से मार्च 2020 तक की अवधि के लिए संशोधित पाइपलाइन टैरिफ से संबंधित ₹312.90 करोड़ की आय की वसूली गेल के एक ग्राहक द्वारा बिजली के लिए अपीलीय अधिकरण के साथ अपील के परिणाम के साथ-साथ संशोधित टैरिफ लागू करने के संबंध में किसी अन्य ग्राहक के प्रति गेल द्वारा लागू मध्यस्थता कार्यवाही पर निर्भर थी। कंपनी ने इस मामले पर खुलासा नहीं किया हालांकि उसके राजस्व और परिसंपत्तियों पर विवाद का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। |
| 5. | दि फर्टिलाइज़र केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड  | कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के प्रावधानों के विपरीत, निवल परिसंपत्तियों पर विवरण, लाभ या हानि में हिस्सेदारी, अन्य व्यापक आय में हिस्सेदारी और मूल कंपनी (एफएसीटी लिमिटेड) और इसके संयुक्त उद्यमों (अर्थात्, एफएसीटी-आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड और केरल   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>एनवायरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) से संबंधित कुल व्यापक आय में हिस्सेदारी को वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किया गया।</p> <p>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) और कंपनी (लेखा) नियमों 2014, के नियम 5, के अनुसरण में एफएसीटी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों को प्रपत्र एओसी-1 में विवरण शामिल करना था जिसमें एफएसीटी आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (एफआरबीएल) और केरल एनविरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केईआईएल) की संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं शामिल थीं। हालांकि, यह वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों में प्रकट किया गया था।</p> <p>भारत सरकार ने एफएसीटी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी एफएसीटी आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (एफआरबीएल) की इक्विटी शेयर पूंजी में ₹29.25 करोड़ के अतिरिक्त निवेश के लिए कंपनी को मंजूरी (16.11.2018) प्रदान की थी। मंजूरी के प्रति, एफआरबीएल ने 2010 और 2013 के बीच कंपनी द्वारा प्रदान की गई जिप्सम आपूर्ति और अन्य सेवाओं के लिए ₹15.18 करोड़ की राशि के इक्विटी शेयर जारी किए। ₹11.68 करोड़ की इक्विटी शेयर जिनके एवज में 2014 से 2017 के दौरान प्रदान की गई जिप्सम/अन्य सेवाएं एफआरबीएल द्वारा आवंटन के लिए लंबित थीं और इसे कंपनी द्वारा संबंधित पार्टियों को अग्रिम के रूप में दिखाया गया था। इसके अलावा, अतिरिक्त निवेश को पूरा करने के लिए ₹2.39 करोड़ के लिए एफआरबीएल को जिप्सम की आपूर्ति 31-03-2020 तक लंबित थी। इन महत्वपूर्ण तथ्यों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में नहीं बताया गया।</p> |
|--|--|--|

ख. असूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ

ख.ि. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

| क्र. सं. | कंपनी का नाम  | टिप्पणी   |
|----------|---|---|
| 1.       | सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड  | पिछले वर्षों में विभागीय परियोजनाओं से संबंधित डम्पर संचालन की लागत को शामिल न करने से 2019-20 में ₹251.47 करोड़ तक खान बंद करने की योजना के दावों का पुनर्निर्धारण हुआ है और वृद्धि हुई है जिसे महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति के अनुपालन में पूर्व वर्षों से संबंधित घटना के रूप में माना जाना चाहिए था और इसे वर्ष के लिए आय के रूप में बुकिंग के बजाय रोकी गयी आय के प्रति समायोजित किया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं करने से ₹251.47 करोड़ तक अन्य आय के साथ-साथ वर्ष के लिए लाभ अधिक बताया गया।   |
| 2.       | उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी  | बैंक के साथ जमाओं पर प्राप्त ब्याज को संचालन से राजस्व के तहत उसकी बुकिंग करने के बजाय अन्य आय के रूप में गलत तरीके से बुक किया गया था जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुपालन में नहीं था।   |
| 3.       | इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (समेकित और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण) | कंपनी ने आईएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड द्वारा प्रचारित छह विशेष प्रयोजन वाहनों के लिए और आईएलएंडएफएस एनवायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के लिए ₹730.57 करोड़ का ऋण दिया, जिसके प्रति ₹366.68 करोड़ का प्रावधान किया गया था। पब्लिक डोमेन में उपलब्ध राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के अनुसार, उपरोक्त सभी कंपनियों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नए निदेशक मंडल द्वारा आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के मामलों का प्रबंधन करने के लिए लाल श्रेणी में रखा गया था जिसका अर्थ था कि ऐसी एंटीटी वरिष्ठ सुरक्षित वित्तीय लेनदारों के प्रति अपने भुगतान दायित्व को पूरा करने की स्थिति में नहीं थीं। तदनुसार उपरोक्त कंपनियों में ₹730.57 करोड़ के पूरे ऋण का प्रावधान किया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं करने के परिणामस्वरूप ऋण को |

|    |                                |  |
|----|--------------------------------|--|
|    |                                | ₹363.89 करोड़ तक अधिक बताया गया है और उतनी सीमा तक प्रावधानों को कम बताया गया। परिणामस्वरूप, लाभ को ₹363.89 करोड़ तक अधिक बताया गया था।  |
| 4. | कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड | इंड एस 8 के अनुसार वित्तीय विवरणों को फिर से तैयार करने के बजाय चालू वर्ष में जुलाई 2017 से मार्च 2019 तक पूर्व अवधि से संबंधित कर्मचारी लाभ व्यय को दर्शाने के परिणामस्वरूप चालू वर्ष के लिए कर्मचारी लाभ व्यय को ₹17.56 करोड़ तक अधिक बताया गया और वर्ष के दौरान उतनी राशि तक कंपनी के लाभ को कम बताया बताया था।   |
| 5. | नैशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | <p>चूंकि स्वास्थ्य साथी योजना के तहत दावा अनुपात 80 प्रतिशत से कम था, इसलिए कंपनी को योजना की शर्तों के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार को ₹194.43 करोड़ के प्रीमियम का प्रतिदाय करना था। प्रतिदाय करते समय कंपनी द्वारा एक अन्य स्वास्थ्य योजना यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के तहत प्रीमियम प्राप्य के लिए ₹22.93 करोड़ की राशि समायोजित की गई थी जिसका सरकार ने विरोध किया था। चूंकि दोनों योजनाएं अलग-अलग थीं और आरएसबीवाई योजना के प्रति प्राप्य प्रीमियम पहले से ही पांच वर्ष से अधिक पुरानी थी और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इसे स्वीकार/स्वीकार नहीं किया गया था जिसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था, इसके समायोजन के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य साथी योजना के तहत देय राशि आरएसबीवाई के तहत प्राप्य प्रीमियम, आरएसबीवाई के लिए संदिग्ध ऋणों के प्रावधान और वर्ष के लिए हानि को ₹22.93 करोड़ तक कम बताया गया। वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणी किए जाने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।</p> <p>रेटिंग में गिरावट, 2019-2020 में भारी नुकसान, सांविधिक लेखा परीक्षक के अनुसार वर्तमान चिंताओं के संबंध में अनिश्चितता, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरकैप) के संबंध में मुंबई में ऋण वसूली अधिकरण में कार्यवाही शुरू करने के बावजूद, कंपनी ने आरकैप के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स में ₹20 करोड़ के निवेश के</p> |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | <p>संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप उतनी ही राशि तक हानि को कम बताया गया।</p> <p>सर्वेयर के निर्धारण के अनुसार मेगा जोखिम नीति के तहत मेसर्स भिलोसा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के दावे के संबंध में ₹71.04 करोड़ के कम प्रावधान करने के परिणामस्वरूप उतनी ही राशि तक हानि को कम बताया गया।</p> <p>सर्वेयर के निर्धारण के अनुसार मेसर्स एलएंडटी हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग लिमिटेड के दावे के संबंध में ₹18.52 करोड़ तक के कम प्रावधान करने के परिणामस्वरूप उतनी ही राशि तक हानि को कम बताया गया।</p>  |
| 6. | नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड                       | <p>सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश में इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी यानी केएसके डिबिन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड में ₹27.93 करोड़ की सीमा तक कंपनी की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी शामिल थी, जिसमें बिना किसी अनुदान के अपने वर्तमान स्वरूप में वाणिज्यिक रूप से गैर-व्यवहार्य के रूप में प्रबंधन द्वारा समीक्षा की गई थी। उसका प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप ₹27.93 करोड़ तक प्रावधानों को कम बताया गया और लाभ को अधिक बताया गया।</p>   |
| 7. | ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (समेकित और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण) | <p>2018-19 तक की अवधि के लिए जारी की गई पॉलिसियों पर अनर्जित प्रीमियम रिजर्व का सृजन, जो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार नहीं था, के परिणामस्वरूप ₹111.02 करोड़ तक वर्ष के लिए प्रावधानों, असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व में परिवर्तनों के लिए समायोजन और हानि को अधिक बताया गया।</p> <p>रेटिंग में गिरावट, ब्याज और मूलधन के भुगतान में चूक, 2019-2020 में भारी नुकसान, सांविधिक लेखापरीक्षक के अनुसार वर्तमान चिंताओं के संबंध में अनिश्चितता, मुंबई में ऋण वसूली अधिकरण में कार्रवाई करने की शुरुआत, शेयर के बाजार मूल्य में भारी गिरावट, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरकैप) के संबंध में निधि</p> |

अंतरण से संबंधित धोखाधड़ी से संबंधित पिछले लेखा परीक्षकों की शिकायत के बावजूद, कंपनी ने 100 प्रतिशत के की सीमा तक प्रावधान करने के बजाय आरकैप के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में ₹55.08 करोड़ के अपने निवेश के संबंध में 25 प्रतिशत का ₹41.31 करोड़ तक प्रावधान किया। इसके परिणामस्वरूप प्रावधानों को कम बताया गया और लाभ को अधिक बताया गया।

सात कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश पर हानि की बुकिंग न करना और विभिन्न नकारात्मक संकेतकों के बावजूद उचित मूल्य परिवर्तन लेखा में कमी का समायोजन करने के परिणामस्वरूप भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) विनियमन का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उचित मूल्य परिवर्तन लेखा और वर्ष के लिए हानि को ₹77.56 करोड़ तक कम बताया गया।

किए गए दावों में ₹28.29 करोड़ शामिल नहीं थे जो पूरी कंपनी के लिए वर्ष 2019-20 के लिए तीसरी पार्टी के प्रशासकों द्वारा सूचित किए गए अनुसार 31.03.2020 को बकाया स्वास्थ्य दावे के कम्पनी के हिस्से और कम्पनी द्वारा वास्तव में बुक किए गए 31.03.2020 को बकाया दावों के बीच अंतर के कारण था। इसके अलावा, आवक सह-बीमा स्वास्थ्य दावों से संबंधित ₹19.43 करोड़ की राशि न तो भुगतान किए गए दावों के तहत दर्ज की गई थी और न ही बकाया दावों के तहत। इसके परिणामस्वरूप बकाया दावों के साथ-साथ हानि को ₹48.32 करोड़ तक कम बताया गया।

अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियों में 2019-20 में अर्जित माल एवं सेवा कर (जीएसटी) इनपुट टैक्स क्रेडिट होने के नाते 25.60 करोड़ को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अगले वर्ष यानी 2020-21 के दौरान वसूली योग्य होने का दावा किया गया था जिसके परिणामस्वरूप वसूली योग्य जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को ₹25.60 करोड़ तक कम बताया गया और उतनी राशि तक हानि को अधिक बताया गया।

वर्ष 2009-10 से 2011-12 से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा

|           |  |   |
|-----------|--|---|
|           |  | <p>योजना के तहत भारत सरकार से प्राप्य ₹23.57 करोड़ के प्रीमियम के एवज में प्रावधान न करने, जिसके प्रति दावे को विवादित बिल डेटा की दलील पर स्वीकार नहीं किया गया था और जिसके संबंध में कंपनी का कानूनी मामला भी समाप्त हो गया था, के परिणामस्वरूप ₹23.57 करोड़ तक हानि को कम और अग्रिमों और अन्य परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया था।</p> <p>वसूली योग्य पुनर्बीमा कमी की गणना करते समय, कंपनी ने फसल के लिए बकाया दावों को ₹2,405.70 करोड़ के संशोधित आंकड़े के बजाय ₹2,425.11 करोड़ माना। इसके परिणामस्वरूप पुनर्बीमा के तहत वसूली योग्य कमी को ₹19.41 करोड़ तक अधिक बताया गया और इतनी ही राशि तक हानि को कम बताया गया।</p> <p>किए गए दावों में आवक संकाय/संधि व्यवसाय के संबंध में 31.03.2020 को बकाया दावे होते हुए ₹13.95 करोड़ को शामिल नहीं किया गया, जिसे बकाया दावों की कम/ गैर बुकिंग के कारण कंपनी द्वारा स्वीकृत किया गया जैसाकि संकाय/संधि लीडर द्वारा सूचित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप किए गए दावों (निवल), देय पुनर्बीमा के साथ-साथ हानि को ₹13.95 करोड़ तक कम बताया गया।</p> <p>किए गए परन्तु सूचित न किए गए किए गए परन्तु पर्याप्त सूचित न किए गए गिरावट रिजर्व पूल में 12.75 प्रतिशत के अनुपात में ₹94.84 करोड़ के सकल दावों की गैर-कमी के ₹ 12.09 करोड़ तक परिणामस्वरूप भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी) प्राप्य को कम बताया गया और किए गए दावों (निवल) के साथ-साथ वर्ष के लिए हानि को अधिक बताया गया।</p> |
| <p>8.</p> | <p>रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड</p> | <p>वर्ष के दौरान, 2016-2017 में इक्विटी में परिवर्तित किए गए ऋण पर ₹434.78 करोड़ की ब्याज देयता और उसपर भारत सरकार द्वारा माफ किए गए ब्याज को पूर्व अवधि की आय के रूप में लाभ और हानि लेखा में क्रेडिट करने के बजाय सामान्य रिजर्व को अंतरित किया गया और फिर उसी को सामान्य रिजर्व को अंतरित किया गया। इस कारण, कर प्रभाव की भी स्वीकृति नहीं की गई थी।</p>   |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 9. | यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण) | <p>मेसर्स रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के संबंध में ब्याज के भुगतान में चूक, रेटिंग में गिरावट, भारी हानि और उधारकर्ताओं से अतिदेय के संबंध में लेखापरीक्षकों की टिप्पणी के बावजूद, कंपनी ने 100 प्रतिशत का प्रावधान करने के बजाय आरएचएफएल के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में ₹115 करोड़ के इसके निवेश के संबंध में 10 प्रतिशत का प्रावधान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹103.5 करोड़ तक प्रावधानों को कम बताया गया और हानि को कम बताया गया।</p> <p>रेटिंग में गिरावट, ब्याज के भुगतान में चूक, 2019-2020 में भारी नुकसान, सांविधिक लेखापरीक्षक के अनुसार वर्तमान चिंताओं के संबंध में अनिश्चितता, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरकैप) के संबंध में मुंबई में ऋण वसूली अधिकरण में कार्यवाही शुरू करने के बावजूद कंपनी ने 100 प्रतिशत का प्रावधान करने के बजाय आरकैप के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स में ₹70 करोड़ के निवेश के संबंध में 10 प्रतिशत का प्रावधान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹63 करोड़ तक प्रावधानों को कम बताया गया और की हानि को कम बताया गया।</p> |
|----|---|--|

## ख.ii. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

| क्र. सं. | कंपनी का नाम                             | टिप्पणी  |       |             |
|----------|--|--|-------|-------------|
| 1.       | आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन लिमिटेड | अनंतपुरमू अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के लिए ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड (एपीट्रांसको) को देय ₹11.21 करोड़ के इंजीनियरिंग और पर्यवेक्षण प्रभारों के प्रति कोई देयता सृजित की गई थी। इसलिए, अन्य वर्तमान देयताओं और चालू पूंजीगत कार्यों को ₹11.21 करोड़ तक कम बताया गया था। |       |             |
| 2.       | बीएसएनएल लिमिटेड                         | <p>निम्नलिखित के कारण प्रावधान के साथ-साथ हानि को ₹2,599.21 करोड़ तक कम बताया गया:</p> <table border="1" data-bbox="719 1877 1485 1964"> <tr> <td data-bbox="719 1877 1294 1964">विवरण</td> <td data-bbox="1294 1877 1485 1964">₹ करोड़ में</td> </tr> </table>                          | विवरण | ₹ करोड़ में |
| विवरण    | ₹ करोड़ में                              |  |       |             |

|    |  |   |          |
|----|--|---|----------|
|    |  | एलडब्ल्यूई परियोजना में शुल्क और कर दरों में वृद्धि के कारण एलडब्ल्यूई विक्रेताओं द्वारा किए गए दावे का गैर लेखाकरण   | 4.28     |
|    |  | दूरसंचार विभाग द्वारा लगाई गई ग्राहक प्रमाणीकरण प्रपत्र (सीएएफ) शास्ति के प्रति देयता का गैर-लेखाकरण  | 110.31   |
|    |  | 19.11.2009 से 01.12.2011 तक की अवधि के लिए अधिकतम वेतनमान पर पेंशन अंशदान से संबंधित व्यय का गैर प्रावधान   | 152.80   |
|    |  | वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए लाइसेंस फीस के अनंतिम निर्धारण का गैर लेखाकरण  | 2,331.82 |
|    |  |   | 2,599.21 |
| 3. | इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (समेकित और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण) | <p>अव्ययित अनुदानों के प्रति समायोजन करने के बजाय परमाणु ऊर्जा विभाग से प्राप्त दावों के तहत ₹19.85 करोड़ के लेखाकरण के परिणामस्वरूप ₹19.85 करोड़ तक प्राप्त दावों को अधिक बताया गया और अन्य देयताओं को अधिक बताया गया।</p> <p>आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर योग्य लाभ पर पहुंचने के दौरान, कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के लिखित मूल्य से सरकारी अनुदानों के मूल्य में कटौती की। हालांकि, लेखाकरण लाभ की गणना के दौरान, अचल परिसंपत्तियों की मूल कीमत पर पहुंचने के दौरान सरकारी अनुदानों के मूल्य की कटौती नहीं गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹15.61 करोड़ की आस्थगित कर आय को कम बताया गया और ₹15.61 करोड़ तक कर के बाद लाभ को कम बताया गया और उतनी ही राशि तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को तदनुरूपी कम बताया गया।</p> |          |

|    |                                       |  |
|----|---------------------------------------|--|
| 4. | हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड | तीन महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाले ₹76.92 करोड़ की सावधि जमा प्राप्तियों को अन्य बैंक बैलेंस के तहत दर्शाने के बजाय नकद और नकद समकक्ष के तहत शामिल किया गया था जो इंड एस 7 के अनुसार नहीं था।  |
| 5. | हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड   | <p>गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में ₹495 करोड़ मूल्य की पट्टे वाली भूमि वर्ष 2018 में 55 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई थी, जिसे पिछले वर्ष यानी 2018-19 के वित्तीय विवरण में लेखांकित नहीं किया गया था और न ही किए गए ₹4.82 करोड़ के पट्टे भूमि प्रभारों का तदनुरूपी परिशोधन था। इंड एस 8 में निहित प्रावधानों के अनुसार इसके पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण यानी 2018-19 की तुलनात्मक राशि को पुनः बताते हुए त्रुटि को ठीक नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को ₹495 करोड़ तक कम बताया गया और साथ ही अन्य वित्तीय देयताओं को उतनी ही राशि तक कम बताया गया।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप ₹4.82 करोड़ तक पट्टा भूमि प्रभारों के परिशोधन को भी कम बताया गया और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मूल राशि को अधिक बताया गया और उतनी ही राशि तक चालू पूंजीगत कार्यों को कम बताया गया।</p> <p>सभी पट्टों के ठेकों को इंड एस 116 को अपनाने के संबंध में टिप्पणी तथ्यात्मक रूप से गलत थी क्योंकि उपरोक्त तीन स्थानों पर पट्टे पर ली गई भूमि पर संशोधित पूर्वप्रभावी दृष्टिकोण लागू नहीं किया गया था।</p> <p>चालू पूंजीगत कार्य और देयताओं को कम बताया गया जो पांच पार्टियों द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री और उपकरणों का मूल्य होते हुए ₹319.55 करोड़ की राशि को शामिल न किए जाने के कारण था जिसके लिए 31.03.2020 से पहले कंपनी को बीजक प्रस्तुत किए गए थे।</p> <p>सिंदरी, बरौनी और गोरखपुर में स्थित कंपनी की तीन यूरिया उर्वरक परियोजनाओं के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी के साथ जुड़ी शर्त</p> |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | के अनुसार परियोजना की कुल लागत के 0.25 प्रतिशत की दर पर 'उद्यम सामाजिक प्रतिबद्धता' (ईएससी) के लिए प्रतिबद्धताओं के प्रति देयता सृजित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप गैर-चालू देयताओं और चालू पूंजीगत कार्यों को ₹53.20 करोड़ तक कम बताया गया था।   |
| 6. | कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड           | <p>हावड़ा में 33 केवी बिजली आपूर्ति का लाभ उठाने के लिए सेवा कनेक्शन प्रभार के प्रति जमा के रूप में दी गई राशि को शामिल करने के कारण चालू पूंजीगत कार्य को ₹12.47 करोड़ तक अधिक बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों को भी कम बताया गया।</p> <p>जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी को देय ऋण की देय अतिदेय राशि को शामिल न करने के कारण चालू देयता को ₹93.37 करोड़ तक कम बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप गैर-चालू देयता को भी उसी सीमा तक अधिक बताया गया।</p>                 |
| 7. | नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक         | वर्ष 2019-20 के दौरान विक्रेता से प्राप्त सेवाओं से संबंधित व्यय के गैर लेखाकरण के कारण देय व्यापार को ₹11.18 करोड़ तक कम बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹11.18 करोड़ तक चालू देयताओं और व्यय को कम बताया गया।   |
| 8. | नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड                | चालू वित्तीय परिसंपत्ति के तहत अन्य बैंक बैलेंस में अनुसूची बैंकों के साथ ₹29.11 करोड़ और ₹10 लाख की सावधि जमा शामिल थी, जिन्हें क्रमशः कोयला मंत्रालय और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में दी गई बैंक गारंटी के लिए प्रतिभूति के रूप में दिया गया था। इस प्रकार, ये सावधि जमा प्रतिबंधित नकदी थे और रिपोर्टिंग अवधि के समाप्त होने के बाद 12 महीनों के भीतर उपलब्ध नहीं थे और भारतीय लेखाकरण मानकों (इंड एस) 1 के अनुसार गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। |
| 9. | ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (स्टैंडअलोन और | कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को ₹200 करोड़ से बढ़ाकर ₹250 करोड़ करने के लिए कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय का अनुमोदन अप्रैल   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| समेकित वित्तीय विवरण) | <p>2020 में प्राप्त हुआ था। ₹50 करोड़ की राशि, जो मार्च 2020 में भारत सरकार से कंपनी को प्राप्त हुई और जिसके प्रति शेयरों को मई 2020 में जारी किया गया था, उसे शेयर पूंजी के तहत शेयर अनुप्रयोग राशि के रूप में लेखांकित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹50 करोड़ तक शेयर पूंजी को अधिक और शेयर अनुप्रयोग धन के लंबित आवंटन को कम बताया गया।</p> <p>निवल धन की गणना करते समय शेयर पूंजी के हिस्से के रूप में शेयर अनुप्रयोग धन के लंबित आवंटन को शामिल करने के परिणामस्वरूप कंपनी के निवल धन को ₹50 करोड़ तक अधिक बताया गया है और इसके परिणामस्वरूप:</p> <p>क. शेयरधारक निधि में निवेश को ₹161.25 करोड़ के बजाय ₹215 करोड़ के रूप में गलत बताया गया और पॉलिसी धारक निधि में निवेश को ₹20,512.05 करोड़ के बजाय ₹20,458.30 करोड़ के रूप में बताया गया।</p> <p>ख. निवल धन का प्रकटीकरण, पॉलिसी धारक लेखा में निवेश, शेयरधारक निधि और शेयरधारक लेखा में निवेश और गैर-जीवन विश्लेषणात्मक अनुपात अर्थात् निवल धन अनुपात के प्रति सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम, निवल धन की वृद्धि दर, गलत निवल मूल्य के आधार पर टिप्पणी में बताए गए निवल धन पर प्रतिफल भी त्रुटिपूर्ण थी।</p> <p>पुनर्बीमा व्यवस्था के तहत वर्ष 2016-17 और 2017-2018 में विमानन दावों के प्रति वसूली योग्य और देय दावों की गलत बुकिंग के गैर-प्रतिवर्तन होने के परिणामस्वरूप बीमा कारोबार करने वाली अन्य एंटीटी से देय को और अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष को ₹135.55 करोड़ तक अधिक बताया गया।</p> <p>बीमा कारोबार करने वाले अन्य एंटीटी से देय में कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) हुबली से संबंधित फसल बीमा खंड के तहत खरीफ-2019 के लिए वर्ष 2019-20 के लिए बकाया दावे होते हुए ₹264.80 करोड़ शामिल थे। हालांकि, आरओ-हुबली ने अगस्त 2020 में खरीफ-2019 के लिए बकाया दावा देयता को राज्य</p> |
|-----------------------|--|

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | सरकार द्वारा अपलोड किए गए दावे के आंकड़ों के आधार पर ₹200.87 करोड़ के रूप में संशोधित किया, जिसका वित्तीय विवरणों में संशोधन नहीं किया गया जिसके कारण बीमा कारबार के फसल खंड और पुनर्बीमा वसूली योग्य के लिए बकाया दावे ₹63.93 करोड़ अधिक बताए गए थे।   |
| 10. | सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड | निवल उगाही योग्य मूल्य या लागत, जो भी कम हो के बजाय लागत होने के नाते कच्चे माल और घटकों के अन्त स्टॉक का मूल्य ₹21.34 करोड़ आंका गया था। यह न तो कंपनी की अपनी लेखाकरण नीति के अनुरूप था और न ही इंड एस-2 के अनुसार था।  |
| 11. | तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड       | <p>2018-19 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर भारत के सी एंड ए जी की टिप्पणी संख्या 2 की ओर ध्यान आकर्षित आमंत्रित किया जाता है जिसमें यह कहा गया था कि अन्य चालू देयताओं को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार (भारत सरकार) को देय के रूप में कर्नाटक आवास बोर्ड (जनवरी 2019) को भूमि की बिक्री से प्राप्त राशि के गलत लेखाकरण के कारण ₹55.23 करोड़ तक अधिक बताया गया था:</p> <p>(i) भारत सरकार ने 2016-17 के दौरान ऋण को बटटे खाते में डाल दिया था;</p> <p>(ii) कंपनी ने 2016-17 के दौरान ₹467.07 करोड़ की राशि के भारत सरकार के ऋण और ब्याज को पहले ही बटटे खाते में डाल दिया था;</p> <p>(iii) भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 18.01.2018 के पत्र के माध्यम से कंपनी को निर्देश दिया था कि वह चल और अचल परिसंपत्तियों की बिक्री आय से सभी एंटीटी को कंपनी द्वारा देय दावे/देयताओं का निपटारा करें।</p> <p>पिछले वर्ष में इंगित किए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। इस प्रकार, वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण में एक सही और निष्पक्ष</p> |

दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित नहीं किया गया।

**ख.iii. प्रकटीकरण पर टिप्पणियां**

| क्र. सं. | कंपनी का नाम                     | टिप्पणी   |
|----------|----------------------------------|---|
| 1.       | आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन | <p>थलारीचेरुवु में डेवलपर के रूप में एपीजीईएनसीओ द्वारा शुरू की गई 400 मेगावाट की परियोजना के संबंध में, न तो भूमि पट्टा करार और कार्यान्वयन सहायता करार किया गया था और न ही एपीजीईएनसीओ द्वारा एक बार अग्रिम विकास प्रभारों का भुगतान किया गया था। हालांकि, परियोजना के शुरू होने के बाद, एपीजीईएनसीओ द्वारा भुगतान की शर्तों के साथ एक खरीद आदेश जारी किया गया था, जिसकी शर्तों को अभी तक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना था। इसके अलावा, एपीजीईएनसीओ से प्राप्तियों को अर्थात् एक बार विकास शुल्क, भूमि पट्टा प्रभार और संचालन और रखरखाव प्रभार उपरोक्त खरीद आदेश के आधार पर वर्ष 2019-20 के दौरान लेखांकित किया गया था। वित्तीय विवरणों में लेखाओं की टिप्पणियों में उपरोक्त तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया।</p> <p>अनंतपुरम अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के लिए गांवों एनपी कुंता और पी कोठापल्ली में भूमि के लिए भूमि पट्टा प्रभारों को शामिल करने के कारण आकस्मिक देयताओं को ₹15.80 करोड़ तक अधिक बताया गया था जिसके लिए पुस्तकों में देयता का पहले ही प्रावधान किया जा चुका था।</p> <p>कंपनी ने वर्ष 2018-19 के लिए ₹14 करोड़ का लाभांश घोषित किया जबकि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में अधिशेष को इक्विटी में बदलने का प्रावधान किया गया था और न कि लाभांश के भुगतान के लिए। चूंकि लाभांश का भुगतान दिशा-निर्देशों के विचलन में था, इसलिए इस तथ्य के प्रकटीकरण की आवश्यकता थी</p> |
| 2.       | बंगाल केमिकल्स एंड               | शास्तिक दर के बजाय सामान्य दर पर भारत सरकार को देय  |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड   | ऋणों के मूलधन की चूक राशि पर ब्याज के प्रावधान और ऐसे ऋणों पर ब्याज की चूक राशि पर ब्याज के गैर-प्रावधान के संबंध में तथ्य को 2019-20 के लिए वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किया गया था, हालांकि 2017-18 और 2018-19 के लिए वित्तीय विवरणों में इस तथ्य को प्रकट किया गया था।   |
| 3. | भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड   | कंपनी ने निवल ब्लॉक के साथ मिलान के साथ-साथ परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक को नहीं दर्शाया जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III की अपेक्षाओं के विपरीत था।   |
| 4. | बीएसएनएल लिमिटेड   | इंड एस 7 का उल्लंघन करते हुए, कंपनी ने प्रबंधन कमेंट्री के साथ, इसके द्वारा रखी गई महत्वपूर्ण नकदी और नकदी के समकक्ष शेष राशि को नहीं दर्शाया जो उस उद्देश्य से इतर उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं था जिसके लिए इसे निर्धारित किया गया था।<br><br>कंपनी ने नकदी प्रवाह का विवरण तैयार करने में इस्तेमाल की गई विधि को प्रकट नहीं किया।   |
| 5. | इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण) | कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 17.03.2020 को अपनी बैठक में मेसर्स ईसीआईएल-रैपिस्कन लिमिटेड, मेसर्स ओसी सिस्टम्स इंक, यूएसए के साथ एक संयुक्त उद्यम के भविष्य पर विचार-विमर्श करने के बाद निर्णय लिया कि संयुक्त उद्यम को तब तक जारी रखा जा सकता है जब तक कि कंपनी कंटेनर स्कैनर, कार्गो स्कैनर आदि के खंडों में अपने उत्पादों के साथ नहीं आ जाती। हालांकि, इस संबंध में प्रकटीकरण में निदेशक मंडल के उपरोक्त निर्णय के बारे में उल्लेख नहीं किया गया था। |
| 6. | फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड  | वर्ष के दौरान ₹55.89 करोड़ के ऋण और उसपर ब्याज को इक्विटी में परिवर्तित किया गया था। उसे नकदी प्रवाह विवरण में शामिल किया गया था जो इंड एस-7 के अनुरूप नहीं था क्योंकि रूपांतरण में वास्तविक नकदी प्रवाह शामिल नहीं था।  |
| 7. | हरिदासपुर पारादीप रेलवे  | लाभ और हानि के विवरण में, प्रति शेयर आय का आंकड़ा "सतत   |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | कंपनी लिमिटेड                           | संचालन के लिए" और "असतत और सतत संचालन के लिए" रूप में थे, जबकि वित्तीय विवरणों में अन्य सभी आंकड़े 'लाख' में थे।   |
| 8.  | हसन मेंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड | टिप्पणी संख्या 42, जिसमें यह कहा गया था कि कंपनी ने पैसंजर ट्रेनों, जो ओएंडएम करार के अनुसार अनुमति दी गई ट्रेनों की संख्या से अधिक को चलाने के लिए दपरे से अभिगम प्रभारों के लिए ₹609.74 करोड़ का दावा किया है, उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थी कि एसडब्ल्यूआर के साथ दावों के सत्यापन/मिलान के लिए ओएंडएम करार में एक स्पष्ट कार्यप्रणाली को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और यह दावा रेलवे बोर्ड के पास लंबित था।                          |
| 9.  | हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड     | सिंदरी, बरौनी और गोरखपुर में स्थित यूरिया उर्वरक परियोजना के लिए जुलाई/अगस्त 2017 में प्राप्त पर्यावरण मंजूरी के अनुसार उद्यम सामाजिक प्रतिबद्धता के प्रति व्यय की जाने वाली राशि में छूट के लिए पर्यावरण मंत्रालय से छूट का दावा किया गया था। चूंकि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा छूट नहीं दी गई थी, इसलिए दावा की गयी छूट के अनुरूप ₹490.81 करोड़ की राशि वित्तीय विवरण की टिप्पणी में आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की जानी चाहिए थी। |
| 10. | एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड                | कंपनी ने संबंधित पार्टी के लेनदेन के बारे में प्रकटीकरण नहीं किया जैसा कि इंड एस-24 के तहत आवश्यक था।  |
| 11. | इरकॉन दावंगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड     | पिछले वर्ष टिप्पणी किए जाने के बावजूद, कंपनी ने फिर से गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कार्यशील पूंजी परिवर्तनों को प्रकट किया, जो निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के तहत दिखाने के बजाय परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह के तहत ₹120.48 करोड़ की राशि है जो इंड एस 7 के प्रावधानों के अनुसार नहीं था।  |
| 12. | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड    | ठेकेदारों को ₹3.59 करोड़ तक के अग्रिम पर अर्जित ब्याज टिप्पणी के तहत अलग से नहीं दर्शाया गया था जो इंड एस 1  |

|     |                                     |  |
|-----|-------------------------------------|--|
|     |                                     | के पैरा 29 का उल्लंघन था।  |
| 13. | कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड      | <p>कंपनी ने उधार लेने की लागत पर प्रदत्त प्रदत्त ₹43.14 करोड़ के ब्याज को वित्तपोषण गतिविधि से नकद प्रवाह के रूप में वर्गीकृत करने के बजाय उसे निवेश गतिविधि से नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जो इंड एस 7 के उल्लंघन में था।</p> <p>परिचालन गतिविधियों से ₹14.49 करोड़ तक नकदी अन्तर्वाह को कम बताया गया था और गैर-समायोज्य मदों के गलत मानने के कारण उसी सीमा तक निवेश गतिविधियों में नकदी बहिर्गमन को अधिक बताया गया था जो इंड एस 7 का उल्लंघन था।</p> <p>कंपनी ने कोंकण रेलवे कल्याण संगठन को ₹27 करोड़ का ऋण संवितरित किया(फरवरी 2011), जिसपर सात वर्षों में चुकाने के लिए सात प्रतिशत की ब्याज दर लगायी गयी। हालांकि, संगठन निर्धारित कार्यकाल के अनुसार ऋण चुकाने में विफल रहा और ऋण और ब्याज की पर्याप्त राशि बकाया थी। कंपनी ने लेखाओ की टिप्पणी में जानकारी को प्रकट नहीं किया जोकि इंड एस 24 के उल्लंघन में था।</p> |
| 14. | मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | <p>चालू पूंजीगत कार्य में आरे में मेट्रो लाइन-3 के लिए कार शेड डिपो के निर्माण के प्रति लगभग ₹454 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी। हालांकि, आरे कॉलोनी में कार डिपो के अंदर की गतिविधियों को महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग के दिनांक 29.11.2019 के पत्र के माध्यम से रोक दिया गया था। मेट्रो लाइन 3 और मेट्रो लाइन 6 के सम्बन्ध में महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित दिनांक 28.08.2020 की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि वैकल्पिक मार्ग विकल्पों का पता लगाए। सितंबर 2020 में हुई निदेशक मंडल की बैठक में ₹2,800 करोड़ रुपये की संभावित लागत अनुमान के साथ उक्त घटनाक्रमों को रखा गया था। हालांकि वित्तीय विवरणों की तारीख और वित्तीय विवरणों को मंजूरी दिए जाने की तारीख के बीच होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना के संबंध में लेखाओ पर टिप्पणी में कोई प्रकटीकरण नहीं</p>        |

|     |   | किया गया था।  |
|-----|---|---|
| 15. | नेशनल इंडस्ट्रियल<br>कॉरिडोर डेवलपमेंट<br>कॉरपोरेशन लिमिटेड<br>(समेकित वित्तीय विवरण) | कंपनी ने जुलाई 2019 में एक परियोजना के पूरा होने के बाद इन उपकरणों के मूल्य को स्वीकार नहीं किया जो नई ऊर्जा और औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास संगठन, जापान के साथ किए गए समझौता जापान के विपरीत था जिसमें परियोजना के पूरा होने पर इस तरह के हस्तांतरण का प्रावधान किया गया था। कंपनी ने इस संबंध में न तो कोई लेखाकरण नीति बनाई, और न ही वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी में कोई प्रकटीकरण किया गया था।   |
| 16. | ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)                 | <p>कंपनी किए गए सकल दावों के लिए प्रावधानों के सृजन के संबंध में अपनी लेखाकरण नीति से विचलित हो गई लेकिन सूचना नहीं दी गई (आईबीएनआर) और किए गए दावों के लिए प्रावधानों को किया गया परन्तु पर्याप्त रूप से सूचित नहीं किया गया (आईबीएनईआर) और मोटर थर्ड पार्टी (गैर-पूल) कार्य - क्षेत्र में ₹5,656.26 करोड़ के सकल आईबीएनआर में से, 'अधिक हानि संधि' से वसूली योग्य पिछली प्रवृत्ति पर विचार करते हुए 'आईबीएनआर/आईबीएनआर' के प्रति वसूली योग्य 'अधिक हानि संधि' के लिए ₹196.18 करोड़ की हानि को छोड़ दिया था। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए मोटर थर्ड पार्टी (गैर-पूल) कार्य- क्षेत्र में आईबीएनआर/आईबीएनआर के निवल प्रतिधारण और हानि में ₹196.18 करोड़ तक वृद्धि हुई। कंपनी ने इस तथ्य को प्रकट नहीं किया था।</p> <p>कंपनी ने पॉलिसीधारकों के लेखाओं और शेयरधारकों के लेखाओं के बीच सकल निवेश आय के विभाजन के आधार के संबंध में कंपनी की लेखाकरण नीति में परिवर्तन के प्रभाव, इसके कारोबार के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पॉलिसीधारकों से संबंधित सकल निवेश आय का अगामी विभाजन, और निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ/हानि के पॉलिसीधारकों के लेखाओं के बीच विभाजन, मानक/गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान, शेयरों के मूल्य में कमी का प्रावधान, ऋण प्रतिभूतियों पर प्रीमियम का परिशोधन, निवेश को बटटे खाते में डालना, और ब्याज, लाभांश</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>और किराये के माध्यम से आय और निवेश गतिविधियों के लिए किए गए खर्चों का प्रकटीकरण नहीं दिया। इस परिवर्तन से पॉलिसीधारकों के लेखाओं में ₹388.85 करोड़ तक वृद्धि और शेयरधारकों के लेखाओं में ₹388.85 करोड़ का निवल कमी का प्रभाव पड़ा, जो निम्नलिखित के परिणामों प्रभाव के साथ था:</p> <p>(i) लाभ और हानि लेखा में व्यय में ₹388.85 करोड़ की निवल वृद्धि, तथा</p> <p>(ii) 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए अग्नि बीमा राजस्व लेखा में 'फायर बिजनेस से परिचालन लाभ' में ₹23.54 करोड़ तक वृद्धि और 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए समुद्री बीमा राजस्व लेखा में 'समुद्री कारोबार से परिचालन लाभ' में ₹3.21 करोड़ तक, और 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए विविध बीमा राजस्व लेखा में 'विविध कारोबार से परिचालन हानि' में ₹362.10 करोड़ तक कमी हुई।</p> <p>टिप्पणियों में, समुद्री और विविध खंडों में भारतीय कारोबार के लिए कुल बकाया दावों को ₹533.82 करोड़ और ₹8,660.80 करोड़ के वास्तविक आंकड़ों के प्रति क्रमशः ₹311.40 करोड़ और ₹8,681.70 करोड़ दिखाया गया।</p> <p>भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने 31.03.2020 और 31.03.2019 को शोधन क्षमता मार्जिन का निर्धारण करने के लिए कंपनी को उचित मूल्य परिवर्तन लेखा के क्रमशः 100 प्रतिशत और 40 प्रतिशत की विशेष क्षमा की अनुमति दी। हालांकि क्षमा का शोधन क्षमता मार्जिन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, लेकिन गणना में इसका लाभ उठाने के तथ्य को प्रकट नहीं किया गया जो आईआरडीएआई के निर्देशों के अनुसार नहीं था।</p> <p>कंपनी ने इक्विटी पोर्टफोलियो में हानि को केवल वहीं माना जहां निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी का प्रति शेयर निवल मूल्य प्रति शेयर अंकित मूल्य से कम हो जाता है। लगातार तीन से पांच वर्षों तक 84 प्रतिशत से अधिक से लेकर 99 प्रतिशत से अधिक 'अस्थाई</p> |
|--|--|

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | से अन्य' स्वरूप के निवेश के मूल्य में कमी (सूचकांक अर्थात् निफ्टी में 2016 से 2019 तक 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के बावजूद) कई अन्य ऋणात्मक ट्रिगर्स के साथ और अंकित मूल्य/अधिग्रहण लागत तक शेयर कीमत को बहाल करने के लिए निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी के भावी नकदी प्रवाह प्रति कोई महत्वपूर्ण सकारात्मक आश्वासन के न होने की कम्पनी द्वारा क्षति के लिए पहचान नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप आईआरडीएआई के विनियमों का भी सही अर्थ में पालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण रूप से गलत बताया गया।   |
| 17. | सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड.  | 33 वर्षों की अवधि के लिए सेल लिमिटेड से पट्टे पर ली गई 15.437 एकड़ भूमि के संबंध में इंड एस 116 के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरण नहीं किया गया था।  |
| 18. | सिक्वोरिटीज प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण) | कंपनी ने 01.04.2019 से प्रभावी हुए इंड एस 116 को लागू नहीं किया।<br>पोस्टल स्टेशनरी, पासपोर्ट और गैर न्यायिक स्टॉप पेपर सहित उत्पादों की राजस्व स्वीकृति पर लेखाकरण नीति में यह प्रावधान किया गया था कि कंपनी द्वारा उठाए गए बिक्री बीजकों के आधार पर राजस्व को स्वीकृति दी गई थी। लेकिन बीजक बनाने के लिए विचार की जाने वाली दरों के बारे में नीति में उल्लेख नहीं था।<br>तथ्य, कि जिन बैंक नोटों के लिए कंपनी ने राजस्व बुक किया था, उनके मामले में वर्ष 2012-13 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिलिंग के लिए उपयोग की जाने वाली दरों को स्वीकार नहीं किया गया था और इन दरों को अंतिम रूप देने के संबंध में मामला दिसंबर 2019 में वित्त मंत्रालय के अधीन टैरिफ आयोग को भेजा गया था, जिसे प्रकट नहीं किया गया। |
| 19. | तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड   | अंगुल जिले, ओडिशा गोरखपुर में स्थित उर्वरक परियोजना के लिए फरवरी 2018 में प्राप्त पर्यावरण मंजूरी के अनुसार उद्यम   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>सामाजिक प्रतिबद्धता के प्रति व्यय की जाने वाली राशि ₹327.72 करोड़ के लिए पर्यावरण मंत्रालय से दावा की गयी छूट लम्बित थी। वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में तथ्यों को प्रकट किया जाना चाहिए था</p> <p>कंपनी ने उर्वरक विभाग से कोयला गैसीकरण मार्ग के माध्यम से उत्पादित यूरिया के लिए आर्थिक सहायता की नीति तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने का अनुरोध किया था जिसमें कच्चे माल की लागत के साथ यूरिया के प्राप्त मूल्य को सम्बन्ध किया जाना चाहिए। हालांकि, नीति प्रतिपादन जून 2018 से लंबित था। इसके अलावा, कंपनी ने परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए गैर-वसूली योग्य जीएसटी, आयात शुल्क, सीमा शुल्क और अन्य लागू उदग्रहण से ₹1,379 करोड़ की राशि के सृजन के दौरान ब्याज माफ करने के लिए विभाग को अभिवेदन किया था, लेकिन यह लंबित था। इन तथ्यों के साथ जुड़े महत्व को ध्यान में रखते हुए, इसे वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में ही प्रकट किया जाना चाहिए था।</p> |
|--|--|--|

ख.iv. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियां

| क्र. सं. | कंपनी का नाम                             | टिप्पणी  |
|----------|--|--|
| 1.       | भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड           | सांविधिक लेखापरीक्षक इस तथ्य को प्रकट करने में विफल रहा कि कंपनी ने पूंजीगत व्यय के लिए प्राप्त निधियों में से परिचालन व्यय के रूप में ₹890.83 करोड़ का उपयोग किया। अप्रकटीकरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत सीएजी द्वारा जारी विशिष्ट निर्देश के अनुपालन में नहीं था। |
| 2.       | बीएसएनएल लिमिटेड                         | लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में ₹263 करोड़ रुपये की कुल आय के बारे में टिप्पणी करते समय राजस्व अनुदान और पूंजीगत अनुदान को शामिल नहीं किया गया था।  |
| 3.       | हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड | अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में, लेखापरीक्षक ने अन्य बातों के साथ साथ बताया कि वित्तीय विवरण इंड एस का अनुपालन करते हैं जहां  |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | कंपनी ने कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखाकरण मानकों के तहत अपने वित्तीय विवरण तैयार किए।   |
| 4. | आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड                            | सांविधिक लेखापरीक्षक ने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए दिनांक 10-08.2020 को एक परिशिष्ट जारी किया। हालांकि, परिशिष्ट जारी करने के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के कोई दिशा-निर्देश नहीं थे या कंपनी अधिनियम, 2013 में कोई प्रावधान नहीं था। तदनुसार, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थी।  |
| 5. | राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड                    | कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के उल्लंघन में सांविधिक लेखापरीक्षक, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में भारत के सीएंडएजी द्वारा जारी निर्देशों पर अपनी टिप्पणी देने में विफल रहा। इसके अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षक ने भारत के सीएंडएजी द्वारा जारी निर्देशों पर टिप्पणियों को शामिल करते हुए स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर दिनांक 17-09-2020 को अनुलग्नक-2 जारी किया। तथापि, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में अनुलग्नक बाद में जारी करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 कोई प्रावधान नहीं है या भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का कोई भी दिशा-निर्देश नहीं है। तदनुसार, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थी। |
| 6. | ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण) | अर्हता प्राप्त राय पैराग्राफ में, एक विदेशी शाखा के अलेखापरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करने की बात सामने आई थी। हालांकि उक्त शाखा को कंपनी ने बंद कर दिया था। उक्त तथ्य को राय में नहीं लाया गया था।<br><br>राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में सारांश पैराग्राफ पर जोर तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि इस राशि में केवल भारत सरकार के बजाय केंद्र और राज्य सरकारों दोनों से वसूली योग्य राशि शामिल थी।<br><br>लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में आईआरडीएआई बीमा कंपनियों के (वित्तीय विवरणों और की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को तैयार करना) विनियम 2002 की अनुसूची सी के पैरा 3 में निर्दिष्ट  |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | मामला शामिल नहीं था।   |
| 7. | सिक्वोरिटीज प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | तुलन पत्र की तिथि को सेक्टर-1, नोएडा में अचल संपत्ति के स्वत्व विलेख की अनुपलब्धता को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में नहीं लाया गया था। |

ग. सूचीबद्ध सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियाँ

ग.ि. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

| क्र. सं. | कंपनी का नाम                         | टिप्पणी   |
|----------|--------------------------------------|---|
| 1.       | ट्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | <p>पूँजीगत परिसंपत्तियों पर अग्रिम ₹29.51 करोड़ तक अधिक बताया गया था जो सीधममधारा में कार्यालय भवन के निर्माण के कार्य के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को आंशिक पूरे किए गए कार्य के लिए भुगतान की गई उपरोक्त राशि को शामिल करने के कारण था। फलस्वरूप चालू पूँजीगत कार्य को भी उक्त राशि तक कम बताया गया।</p> <p>₹13.93 करोड़ तक इनवेंटरी को अधिक बताया गया था और अन्य व्ययों के तहत बिजली और ईंधन को कम बताया गया था, जो इनवेंटरी विवरण के अनुसार ईंधन के लेखाकरण के कारण था जिसमें ट्रेजर्स की दैनिक उपयोग रिपोर्ट के प्रति 5,289.59 एमटी के अंत शेष को दर्शाया गया, जो 2,965.39 एमटी के अंत शेष को दर्शाता था। फलस्वरूप, कर से पहले लाभ ₹13.93 करोड़ तक अधिक बताया गया था।</p> |
| 2.       | उड़ीसा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड      | <p>खनन एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम, 1957 के तहत देय क्षतिपूर्ति के लिए दिसंबर 2017 और नवंबर 2018 में ओडिशा सरकार के पास जमा किए गए ₹27.15 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान नहीं किया गया था, भले ही इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (अगस्त 2017) के अनुपालन में जमा किया गया था और ओडिशा सरकार द्वारा भी विनियोजित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹27.15 करोड़ रुपये तक</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>अन्य चालू परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया और वर्ष के लिए हानि को कम बताया गया।</p> <p>कंपनी ने फरवरी 2020 में ओडिशा सरकार द्वारा नए सिरे से बगियाबुरु, बेलकुंडी और भद्रसाही नामवाले अनुपूरक पट्टा विलेखों के निष्पादन के लिए देय ₹48.11 करोड़ की स्टॉप इयूटी और पंजीकरण प्रभारों के लिए प्रावधान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं को ₹48.11 करोड़ तक कम बताया गया। इसके अलावा, संबंधित पट्टों के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए, परिशोधन व्यय के गैर-लेखांकन के परिणामस्वरूप ₹29.29 करोड़ तक हानि को कम बताया गया।</p> |
|--|---|

#### घ. सरकार नियंत्रित अन्य असूचीबद्ध कंपनियाँ

##### घ.ि. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

| क्र. सं. | कंपनी का नाम                                       | टिप्पणी  |
|----------|--|--|
| 1.       | बोकारो विद्युत आपूर्ति कंपनी (प्रा) लिमिटेड        | ₹53.16 करोड़ रुपये की अनुमानित 19.96 लाख क्यूमी राख के निपटान लागत के गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹53.16 करोड़ तक उत्पादन/प्रशासन और अन्य व्ययों को कम बताया गया और लाभ को अधिक बताया गया। शेष 12.11 लाख क्यूमी राख के परिवहन के लिए अनुमानित लागत के गैर-प्रावधान के कारण लेखा पुस्तकों पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना नहीं की जा सकी।   |
| 2.       | स्टार यूनियन दाई इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | <p>पिछले वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कम प्रावधान करने के संबंध में इस मामले को उजागर करने के बावजूद, कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में ₹55 करोड़ के निवेश के संबंध में केवल 80 प्रतिशत का प्रावधान किया जिसके परिणामस्वरूप निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान को कम बताया गया और लाभ को ₹11 करोड़ तक अधिक बताया गया।</p> <p>वर्ष 2019-2020 के दौरान राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण द्वारा मेसर्स दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल)</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | के प्रति कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए रेटिंग में गिरावट, ब्याज के भुगतान में चूक और आवेदन को स्वीकार करने के बावजूद, कंपनी ने डीएचएएल के गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूत डिबेंचर में ₹63 करोड़ के निवेश के संबंध में ₹33.96 करोड़ का ही प्रावधान किया। इसके कारण ₹29.04 करोड़ तक प्रावधानों को कम बताया गया और लाभ को अधिक बताया गया। |
|--|--|---|

घ.iii. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

| क्र. सं. | कंपनी का नाम                                   | टिप्पणी  |
|----------|--|--|
| 1.       | एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड | वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार (दिसंबर 2009) भारत की समेकित निधि (फसल बीमा पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए भारत सरकार का हिस्सा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना) को प्रतिधारित लाभों/आरक्षित निधि में से किए गए ₹200 करोड़ के तदर्थ भुगतान में अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियों को शामिल किया गया। निर्देशों में इस बात के कोई संकेत नहीं मिले थे कि उपरोक्त राशि सरकार द्वारा प्रतिदाय योग्य है और मंत्रालय ने 10 साल बीत जाने के बाद भी उसका प्रतिदाय नहीं दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹200 करोड़ तक अग्रिमों और अन्य परिसंपत्तियों के साथ-साथ कंपनी की आरक्षित निधि और अधिशेष को अधिक बताया गया। |
| 2.       | पिपावाव रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड                | 31.03.2020 तक 12 महीनों के भीतर परिपक्वता वाले ₹174.72 करोड़ की सावधि जमा को चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के बजाय गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अनुसार नहीं था।  |

घ.iii. प्रकटीकरण पर टिप्पणियां

| क्र. सं. | कंपनी का नाम         | टिप्पणी   |
|----------|----------------------|---|
| 1.       | डीएमआईसीडीसी नीमराना | कंपनी ने जुलाई 2019 में इसकी पूर्णता के बाद एक परियोजना |

|    |                                 |  |
|----|---------------------------------|--|
|    | सोलर पावर कंपनी लिमिटेड         | के उपकरणों के मूल्य की पहचान नहीं की जो नई ऊर्जा और औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास संगठन, जापान के साथ किए गए समझौता जापान के विपरीत था जिसमें परियोजना के पूरा होने पर इस तरह के अंतरण का प्रावधान किया गया था। इस संबंध में कंपनी ने न तो कोई लेखाकरण नीति बनाई और न ही वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कोई प्रकटीकरण किया गया है।  |
| 2. | नबकिसान फाइनेंस लिमिटेड         | <p>संवितरण के लिए लंबित ऋण प्रतिबद्धताओं की सही राशि ₹20.31 करोड़ के बजाय ₹80.76 करोड़ थी, जैसा कि आकस्मिक देयताओं में शामिल किया गया।</p> <p>कंपनी के निदेशक मंडल ने किसान उत्पादक कंपनियों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज अनुदान सहायता सहित तीन योजनाओं को लागू करने के लिए तमिलनाडु सरकार के कृषि विपणन और कृषि व्यवसाय विभाग के साथ समझौता जापान में करने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया (जुलाई 2019)। तमिलनाडु सरकार का योगदान ₹166.70 करोड़ था और कंपनी को वर्ष 2022-23 तक चरणबद्ध तरीके से ₹333.30 करोड़ का क्रेडिट प्रदान करना था। हालांकि, तमिलनाडु सरकार ने अपने योगदान के भाग के लिए प्रशासनिक मंजूरी जारी की थी, लेकिन कंपनी और तमिलनाडु सरकार के बीच समझौता जापान पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। इसमें शामिल राशि और वित्तीय व्यवस्थाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में तथ्यों को प्रकट किया जाना चाहिए था।</p> |
| 3. | पिपावाव रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड | ₹11.81 करोड़ की राशि का प्रदत्त लाभांश 'वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह' के तहत दिखाने के बजाय 'परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह' में शामिल किया गया था जो इंड एस - 7 के अनुसार नहीं था।  |

### 2.5.2 सांविधिक निगम जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है

सांविधिक निगमों, जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, के लेखाओं पर सीएजी द्वारा जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया:

#### भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

- अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों को निम्नलिखित के कारण देयता के गैर-प्रावधान के कारण ₹6.32 करोड़ तक कम नीचे दिए गए तालिका 2.2 में दिया गया है:

#### तालिका 2.2

#### अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान न करने का विवरण

(₹करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण   | राशि |
|----------|---|------|
| 1.       | पुरानी जमा जिसके लिए कोई दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध नहीं थे                         | 5.26 |
| 2.       | सरकारी विभाग से पुराने प्राप्य जिसके लिए कोई दस्तावेज/ अभिलेख उपलब्ध नहीं थे    | 0.42 |
| 3.       | जेवीसी/डीआईएएल से वसूली योग्य राशि जिसके लिए कोई दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध नहीं थे | 0.64 |
|          | कुल   | 6.32 |

उपरोक्त कारोबार के कारण ₹6.32 करोड़ तक प्राप्यों को अधिक और व्यय को कम बताया गया था।

- संबंधित पार्टी के प्रकटीकरण में राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्य ₹20.77 करोड़ की राशि शामिल थी जिसमें प्राधिकरण का स्वामित्व हित 46 प्रतिशत था।
- निम्नलिखित का प्रकटीकरण न करने के कारण आकस्मिक देयता को ₹47.91 करोड़ तक कम नीचे दिए गए तालिका 2.3 में दिया गया है:

## तालिका 2.3

## प्रकटीकरण न करने का विवरण

(₹करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण  | राशि  |
|----------|--|-------|
| 1.       | गया विमानपत्तन पर टेकनो फार्म में स्थित चारदीवारी के निर्माण कार्य के लिए मध्यस्थता और गया विमानपत्तन पर रनवे, टैक्सीवे तथा एप्रोन और संबद्ध कार्यों के रीकारपेटिंग के लिए मध्यस्थता का प्रकटीकरण न करना | 10.23 |
| 2.       | मेसर्स ग्राफिक एडस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दावा की गयी हानि और क्षतिपूर्ति का प्रकटीकरण न करना   | 12.17 |
| 3.       | आईटीडी सीईएम जेवी बनाम एएआई के बीच मध्यस्थता मामलों पर ब्याज   | 25.51 |
|          | कुल  | 47.91 |

- अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, यह देखा गया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत वर्ष 2019-20 के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और जैसलमेर में प्राधिकरण द्वारा संचालित विमानपत्तनों पर सुरक्षा और अग्निशमन सेवा के प्रावधान के लिए राज्य सरकारों से दावे किए गए थे, हालांकि, वर्ष 2019-20 में इसे आय के रूप में शामिल नहीं किया गया था। प्राधिकरण ने बताया कि राज्य सरकार से दावे को प्राप्ति के आधार पर लिया गया था। हालांकि, इस संबंध में लेखा पुस्तकों में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया था।

## केन्द्रीय भण्डारण निगम

- विपरीत पार्टी द्वारा दावे को वापस लेने या माफ करने और मामला मुकदमेबाजी के तहत होने के बावजूद पूर्ववर्ती वर्षों के लिए देय कार्यालय किराए के लिए प्रावधान की गई मौजूदा देयता के प्रतिलेखन के कारण व्ययों के लिए प्रावधान को ₹5.45 करोड़ तक कम बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप बकाया देयताओं को ₹5.45 करोड़ रुपये तक कम बताया गया और वर्ष के लिए उतनी ही राशि तक लाभ को अधिक बताया गया।

## भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

- विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार ने एक करार (मार्च 2009) के माध्यम से म्यांमार में सिटवे बंदरगाह को भारत में मिजोरम राज्य से जोड़ने वाली कलादान नदी पर बहु-मॉडल पारगमन परिवहन सुविधा के कार्यान्वयन के लिए निष्पादित की जा रही कलादान परियोजना के लिए परियोजना विकास सलाहकार (पीडीसी) के रूप में प्राधिकरण को नियुक्त किया। परियोजना पर कार्य प्रगति पर था।

वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, प्राधिकरण को 31.03.2020 तक विदेश मंत्रालय से ₹33.87 करोड़ प्राप्त हुए थे जिसमें ₹29.05 करोड़ की पीडीसी फीस, ₹2.11 करोड़ का सेवा कर, ₹1.72 करोड़ की जीएसटी और ₹0.99 करोड़ के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल थी। 31.03.2020 तक परियोजना में बैंक ब्याज सहित ₹2.56 करोड़ की आंतरिक प्राप्तियां भी सृजित हो चुकी थीं। उपरोक्त में से 31.03.2020 तक ₹29.85 करोड़ का व्यय किया गया था।

उपरोक्त टिप्पणी के तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि प्राधिकरण ने वर्ष 2019-20 के लिए कलादान परियोजना की अलग लेखा पुस्तकें तैयार की थीं और उपरोक्त परियोजना के लेनदेन का कोई प्रभाव प्राधिकरण के वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया था। यह मुद्दा 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी उठाया गया था लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

### 2.6 लेखाकरण मानकों/इंड एस के प्रावधानों का अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (1), धारा 132 और धारा 133 के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने लेखाकरण मानक 1 से 7 और 9 से 29 निर्धारित किए। इनके अलावा, केंद्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 और कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के माध्यम से 41 भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एस) को अधिसूचित किया।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने बताया कि परिशिष्ट XXI में विवरण के अनुसार सात कंपनियों ने अनिवार्य लेखाकरण मानकों/इंड एस का अनुपालन नहीं किया।

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी ने पाया कि निम्नलिखित कंपनियों ने भी लेखाकरण मानकों/इंड एस का अनुपालन नहीं किया था जिसकी सूचना उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा नहीं दी गई थी जैसाकि तालिका 2.4 में दिया गया है:

तालिका 2.4 लेखाकरण मानकों/इंड एस के गैर-अनुपालन

| लेखाकरण मानक/इंड एस |                                 | कंपनी का नाम   | विचलन   |
|---------------------|---------------------------------|--|---|
| एस 22               | आय पर करों के लिए लेखाकरण       | एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड | आस्थगित कर परिसंपत्तियों /आस्थगित कर देयताओं की गणना करते समय आयकर के तहत अस्वीकृत देनदारों के लिए प्रावधान शामिल नहीं किया गया था।   |
| इंड एस 1            | वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण | कॉनकोर एयर लिमिटेड                                       | 2018-19 से संबंधित मदों के पुनः वर्गीकरण/पुनः समूहीकरण करने का प्रभाव यह था कि कुल परिसंपत्ति/देयताएं ₹89.80 करोड़ के बजाय ₹97.26 करोड़ थीं जैसा कि प्रकटन किया गया।<br><br>पुनर्वर्गीकरण के स्वरूप, पुनर्वर्गीकृत मदों की प्रत्येक मद या श्रेणी की राशि और पुनर्वर्गीकरण के कारणों को प्रकट नहीं किया गया। |
|                     |                                 | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड                     | ठेकेदारों को अग्रिम पर अर्जित ब्याज अलग से प्रकट नहीं किया गया था।  |
|                     |                                 | नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड                         | सावधि जमा जो नकदी प्रतिबंधित थे और जो रिपोर्टिंग की अवधि की समाप्ति के बाद 12 महीनों के भीतर उपलब्ध नहीं थी, को गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्ति के बजाय चालू वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था   |

|          |                         |   |  |
|----------|-------------------------|---|--|
| इंड एस 2 | माल सूचियां             | सेल राइट्स बंगाल<br>वैगन इंडस्ट्रीज<br>लिमिटेड. | तैयार माल और चल रहे कार्य के कुछ समापन स्टॉक को मूल्यांकन करते समय लेखाकरण मानक के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया।<br><br>कच्चे माल के स्टॉक को लागत पर मूल्यांकित किया गया था और निवल वसूली योग्य मूल्य पर विचार नहीं किया गया था। |
|          |                         | स्टील अथॉरिटी<br>ऑफ इंडिया<br>लिमिटेड           | स्क्रेप जो अस्तित्व में नहीं था, उसे माल सूची में शामिल किया गया था<br><br>माल सूची के रूप में लौह अयस्क फाइन का मूल्यांकन इंड एस 2 के प्रावधान के विरुद्ध था।   |
| इंड एस 7 | नकदी प्रवाह का<br>विवरण | बीएसएनएल<br>लिमिटेड                             | कंपनी ने इसके द्वारा रखी गई उस महत्वपूर्ण नकदी और नकदी समकक्ष शेष राशि को प्रबंधन की टिप्पणी के साथ नहीं दर्शाया जो कि उस उद्देश्य के अलावा अन्य उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं थी जिसके लिए इसे निर्धारित किया गया।                           |
|          |                         | कॉनकोर एयर<br>लिमिटेड                           | निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के तहत अर्जित ब्याज शामिल किया गया था  |
|          |                         | फ्रेश एंड हेल्दी<br>एंटरप्राइजेज<br>लिमिटेड     | ऋण और उस पर ब्याज गलत तरीके से नकदी प्रवाह विवरण में शामिल किया गया था।  |
|          |                         | हरिदासपुर पारादीप<br>रेलवे कंपनी<br>लिमिटेड     | नकद समकक्ष अधिक बताएं गए थे और नकदी और नकदी समकक्ष के अलावा बैंक बैलेंस को तीन महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा प्राप्तियों के  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | गलत वर्गीकरण के कारण कम बताया गया था।   |
|  |  | इरकॉन दावंगेरे<br>हावेरी हाईवे<br>लिमिटेड  | कार्यशील पूंजी परिवर्तनों को गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के तहत दिखाने के बजाय परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह के तहत प्रकट किया गया था।<br><br>ग्राहक से अग्रिम संग्रहण पर देय अर्जित ब्याज परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह में और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह में भी शामिल था। |
|  |  | इरकॉन वडोदरा<br>किम एक्सप्रेसवे<br>लिमिटेड | परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अधिक बताया गया था और ब्याज आय के गलत समायोजन के कारण निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह को कम बताया गया था।   |
|  |  | कोंकण रेलवे<br>कॉर्पोरेशन लिमिटेड          | उधार लेने की लागत पर भुगतान किए गए ब्याज को वित्तपोषण गतिविधि से नकदी प्रवाह के बजाय निवेश गतिविधि से नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया था।<br><br>परिचालन गतिविधियों से नकदी अंतर्वाह को कम बताया गया था और गैर-समायोज्य मदों के गलत मानने के कारण निवेश गतिविधियों से नकदी बहिर्वाह को अधिक बताया गया था।                  |
|  |  | पिपावाव रेलवे<br>कारपोरेशन लिमिटेड         | परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह को कम बताया गया था और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को लाभांश के  |

|           |   |   |  |
|-----------|---|---|--|
|           |   |   | भुगतान के गैर-समावेशन के कारण कम बताया गया था।   |
|           |   | पंजाब लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | ब्याज अर्जित हुआ भले ही परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह में एक गैर-नकदी मद को जोड़ा गया था।  |
|           |   | रेल विकास निगम लिमिटेड                  | ब्याज अर्जित हुआ जिसमें कोई नकदी प्रवाह शामिल नहीं था, को निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के रूप में माना गया।   |
| इंड एस 8  | सरकार के लिए लेखाकरण अनुदान और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण | हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड     | पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण यानी 2018-19 की तुलनात्मक राशियों को पुनः बताते हुए पिछले वर्ष में पट्टाधारित भूमि के लेखाकरण के संबंध में त्रुटि को ठीक नहीं किया गया था। |
|           |   | आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड.               | ठोस अपशिष्ट खाई से संबंधित चल रहे पूंजीगत कार्य के मूल्य में कमी नहीं की गई थी।  |
|           |   | कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड          | कर्मचारी लाभ से संबंधित पूर्व अवधि के व्यय को वित्तीय विवरणों में पुनर्रचना करने के बजाय चालू वर्ष के व्यय के रूप में बुक किया गया था।                                 |
| इंड एस 10 | रिपोर्टिंग की अवधि के बाद की घटनाएं                       | मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड             | वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पहले संशोधित दरों पर विचार न करने के परिणामस्वरूप प्राप्त दावों को कम बताया गया और हानि को अधिक बताया गया।                               |
| इंड एस 24 | संबंधित पार्टी के प्रकटीकरण                               | एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड                | संबंधित पार्टी के लेनदेन को प्रकट नहीं किया गया.   |

|            |                                    |   |  |
|------------|------------------------------------|---|--|
|            |                                    | कोंकण रेलवे कंपनी लिमिटेड                                     | नियत अनुसार ऋण चुकाने की एक उधारकर्ता की विफलता को लेखाओं के टिप्पणियों में प्रकट नहीं किया गया था।  |
| इंड एस 36  | परिसंपत्तियों की क्षति             | कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड                           | कंपनी ने उन घटनाओं और परिस्थितियों का प्रकट नहीं किया, जिनके कारण फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइज लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश में क्षति हानि की पहचान हुई।   |
| इंड एस 115 | ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व | भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड                                   | उस बिक्री को शामिल करने के कारण राजस्व को अधिक बताया गया था जिसके लिए वितरणों को अभी तक किया जाना था।  |
| इंड एस 116 | पट्टे                              | हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड                           | सभी पट्टे ठेकों के लिए लेखाकरण मानक को अपनाने के संबंध में टिप्पणी तथ्यात्मक रूप से गलत थी क्योंकि गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में पट्टे पर ली गई भूमि पर संशोधित पूर्वप्रभावी दृष्टिकोण लागू नहीं किया गया था। |
|            |                                    | सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड.                     | स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में उचित प्रकटीकरण नहीं किए गए   |
|            |                                    | सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 01.04.2019 को प्रभावी हुआ लेखाकरण मानक लागू नहीं किया गया।   |

## 2.7 प्रबंधन के पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा का एक उद्देश्य लेखापरीक्षक और कॉर्पोरेट एंटीटी के शासन की जिम्मेदारी के साथ प्रभारित लोगों के बीच वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा मामलों पर संसूचना को स्थापित करना है।

सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों को सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत टिप्पणियों के रूप में सूचित किया गया था। इन टिप्पणियों के अलावा, वित्तीय रिपोर्टों या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सीएजी द्वारा देखी गई अनियमितताओं या त्रुटियों को भी सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित किया गया था। सामान्यतया ये त्रुटियां निम्नलिखित से संबंधित थीं:

- लेखाकरण नीतियों और प्रथाओं को लागू करना और उनकी व्याख्या करना,
- लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजन जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता था और
- कुछ सूचनाओं का अपर्याप्त होना या प्रकटीकरण न करना जिस पर संबंधित पीएसई के प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि बाद के वर्षों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वर्ष के दौरान, सीएजी ने 194 सीपीएसई को 'प्रबंधन पत्र' जारी किए (*परिशिष्ट XXII*)।